कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/4425/कोरोना सेल/2021 रायगढ़, दिनांक 31/05/2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4146/कोरोना सेल/2021 दिनांक 15.05.2021 के माध्यम से रायगढ़ जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला रायगढ़ में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

रायगढ़ जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड–19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु कोविड–19 से होने वाले मौतों की संख्या अभी भी चिंता का विषय है। अतः कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण रायगढ़ जिले में कन्टेन्मेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोक हित में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः **मैं भीम सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,** जिला रायगढ़ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/4146/ कोरोना सेल/2021 रायगढ़, दिनांक 15/05/2021 के माध्यम से रायगढ़ जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, को बढ़ाते हुये दिनांक 05.06.2021 रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करता हूं ।

उपरोक्त अवधि में विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु दी गई अनुमति के अतिरिक्त निम्नांकित गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति दी जाती है :–

(1) **निजी निर्माण कार्य की सशर्त अनुमति होगी। श्रमिकों को मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित रूप से सेनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19 के गाइडलाईन नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।**

(2) **निर्माण सामग्रियों एवं तिरपाल (प्लास्टिक शीट) से संबंधित दुकानों का संचालन की अनुमति प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक किया जा सकेगा ।**

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4146/कोरोना सेल/2021 दिनांक 15.05.2021, आदेश क्रमांक 4148/कोरोना सेल/2021 दिनांक 16.05.2021, आदेश क्रमांक 4191/कोरोना सेल/2021 दिनांक 20.05.2021, आदेश क्रमांक 4253/कोरोना सेल/2021 दिनांक 22.05.2021, आदेश क्रमांक 4279/कोरोना सेल/2021 दिनांक 24.05.2021, आदेश क्रमांक 4357/कोरोना सेल/2021 दिनांक 27.05.2021 की कंडिकाओं में उल्लेखित शर्तें/छूट यथावत् रहेंगी ।

उक्त आदेश दिनांक 31.05.2021 की रात्रि 12.00 बजे से लागू होगा ।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ0ग0)

पृ.क्रमांक/4425–A/कोरोना सेल/2021 रायगढ़, दिनांक 31/05/2021

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

5. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
6. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासुपर

   ——की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
8. पुलिस अधीक्षक, रायगढ
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़
12. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़
14. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़
15. खाद्य अधिकारी, रायगढ़
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला रायगढ़
17. सर्व थाना प्रभारी, जिला रायगढ़

    —— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
18. जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. उप संचालक, जनसंपर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़(छ.ग.)